4.9 प्रत्याभूति के प्रकार (Kinds of Guarantee)

प्रत्याभूति दो प्रकार की हो सकती है-

4.9.1 विशिष्ट प्रत्याभूति (Specific Guarantee) -

जब किसी विशेष ऋण या वचन के लिए प्रत्याभूति दी जाती है तो उसे 'विशिष्ट प्रत्याभूति' कहते हैं। इसमें प्रत्याभू का दायित्व केवल एक लेन-देन तक ही सीमित रहता है और जब वह लेन-देन पूरी हो जाती है तो प्रत्याभूति अनुबन्ध समाप्त हो जाता है।

4.9.2 चालू प्रत्याभूति (Continuing Guarantee) -

जब कोई प्रत्याभूति लेन-देनों की एक शृंखला के सम्बन्ध में दी जाती है तो उसे चालू प्रत्याभूति कहते हैं। उदाहरण के लिए A, चाय के एक व्यापारी B को, उसके द्वारा C को समय-समय पर बेची जाने वाली चाय के भुगतान के लिए 200 रुपये तक की प्रत्याभूति देता है। B ने C को 2500 रुपये की चाय बेची जिसका भुगतान C ने कर दिया। बाद में फिर उसने (B) 3000 रुपये की चाय सप्लाई की जिसका C ने भुगतान नहीं किया। चूँकि एक चालू प्रत्याभूति थी, अतः A 2500 रुपये का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

कोई प्रत्याभूति चालू प्रत्याभूति है या नहीं, यह पक्षकारों के इरादे एवं सम्बद्ध परिस्थितियों पर निर्भर करता है। चालू प्रत्याभूति का मुख्य लक्षण यह है कि वह दो पक्षकारों के मध्य होने वाले अनेक लेन-देनों पर लागू होती है; न कि कुछ विशिष्ट लेन देनों पर और प्रत्याभू अन्त में रकम के लिए ही दायी होता है। जैसे किराया वसूल करने के लिए नियुक्त कर्मचारी के आचरण की प्रत्याभूति चालू प्रत्याभूति है लेकिन किस्तों के किए जाने वाले भुगतान की प्रत्याभूति को चालू प्रत्याभूति नहीं कहा जा सकता है। चालू प्रत्याभूति में समय या राशि की सीमा निर्धारित की जा सकती है।

4.9.3 चालू प्रत्याभूति का खण्डन (Revocation to Continuing Guarantee) -

इसका खंडन निम्नलिखित दो ढंग से किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

(क) सूचना द्वारा (By Notice) - ऋणदाता को सूचना देकर, भावी लेन-देनों के सम्बन्ध में, चालू प्रत्याभूति को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। जब प्रतिभू खण्डन की सूचना देदेता है तब वह बाद की लेन-देनों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, लेकिन सूचना से पहले के लेन-देनों के लिए उसकी जिम्मेदारी बनी रहती है।

(ख) प्रतिभू की मृत्यु होने पर (By Surety's Death) - यदि कोई विपरीत अनुबन्ध न हो तो प्रतिभू की मृत्यु हो जाने पर भावी लेन-देनों के सम्बन्ध में, चालू प्रत्याभूति समाप्त हो जाती है। इस दशा में ऋणदाता को प्रतिभू की मृत्यु की जानकारी होना आवश्यक नहीं है।

उपर्युक्त दो परिस्थितियों के अलावा चालू प्रत्याभूति उन सब दशाओं में भी समाप्त हो जाती है जिनमें साधारणतया प्रतिभू दायित्व-मुक्त हो जाता है; जैसे मूल अनुबन्ध की शर्तों में परिवर्त्तन किए जाने पर, मूल ऋणी के मुक्त होने पर कमी आने अथवा ऋणदाता द्वारा जमानत खो देने पर।

Scanned with CamScanner